न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 04/2022 (जी0सी0एम0एस0 नं0 2022/2)

उनवानी प्रकरण :–

सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति लोधा निवासी तगावली थाना कोतवाली जिला धौलपुर ---------- .प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ----------अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री हर्ष भारद्वाज अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 14..03.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति लोधा निवासी तगावली थाना कोतवाली जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/2007 जो कि दिनांक 27.04.2017 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 26.04.2017 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1680 दिनांक 15.06.2017 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2007 को दिनांक 10.9. 2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट
धौलपुर

उक्त आदेश दिनांक 10.9.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.11.2021 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 10.9.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों एवं वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये विचाराधीन मुकद्वमों के अन्तिम निर्णय के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 09.11.2021 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री राजीव मिश्रा अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 12.01.2022, से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में भीमसिंह कानि0 नम्बर 1099 के द्वारा जांच कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी सुरेश उर्फ सुरेन्द्र के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 515/2011 धारा 326, 323,341,332,327 आईपीसी में चार्जशीट नं0 330/दिनांक 31.12.2011 को किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय में पैण्डिगं है, मु0नं0 20/2016 धारा 13 आरपीजीओ में चार्जशीट नं0 08/18.1.2016 न्यायालय फैसला जुर्माना हुआ है, मु0नं0 165/2002 धारा 147,323,341आईपीसी में चार्जशीट नं0232/29.11.2002 न्यायालय फैसला राजीनामा हुआ है, मु0नं0 137/1998 धारा 314,323आईपीसी में चार्जशीट नं0 131/22.7.1998 न्यायालय फैसला राजीनामा आदि प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2007 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1680 दिनांक 15.06.2017 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 515/2011 थाना कोतवाली के लम्बित होने के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने बावत मना किया गया। उक्त मुकद्वमा प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज होने के बाद भी प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निर्धारित प्रकिया अनुसार 02 बार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

नवीनीकृत हुआ है। प्रार्थी के द्वारा लाइसेन्सी हथियार का किसी भी अपराध में उपयोग नहीं लिया गया है। उक्त मुकद्दमा 515/2011 न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय धौलपुर न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है। प्रार्थी के अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों 2013(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 393, 2016(।।।) सीएलआर राजस्थान पेज 1229, 2005(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 907 का हवाला देते हुये कहा कि उक्त निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि केवल अपराधिक मामले लम्बित रहने मात्र से अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2007 को वहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि होना पाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण एवं अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 10.9.2018 के जरिये प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 10.09.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक 1680 दिनांक 15.6.2017 के अनुसार प्रार्थी के विरूद्व मुकदमा नम्बर 515/2011 धारा 326, 323,341,332,327 आईपीसी पंजीबद्व विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई है। जबकि इसी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या–1 में प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का दुरूपयोग नहीं करना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15.6.2017 में ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं होता कि प्रार्थी के खिलाफ सक्षम अदालत में चल रहे मुकद्वमा जिसका उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है में अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है अथवा अपराध साबित हो गया हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों 2013(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 393, 2016(।।।) सीएलआर राजस्थान पेज 1229, 2005(।।) सीएलआर राजस्थान पेज 907

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि केवल अपराधिक मामले लम्बित रहने मात्र से अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाय तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा भी कोई तथ्य सामने नहीं आया कि प्रार्थी के द्वारा लाईसेंसी हथियार किसी भी अपराध में उपयोग में लिया गया हो। प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/2007 वर्ष 2007 में जारी किया गया है जो नियमानुसार नवीनीकरण भी होता रहा है तथा दिनांक 27.4.2017 तक नवीनीकृत है। ऐसी स्थिति में पूर्व के विचाराधीन मुकद्वमें को आधार बनाया जाना उचित नहीं रहता है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को वहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री गोकुल सिंह जाति लोधा निवासी तगावली थाना कोतवाली जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को वहाल/नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 3788–91 दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2007 को बहाल करने एवं दिनांक 27.04.2017 से निरन्तर नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जोयसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)